

13-3-18

पञ्जाबली पेश हुई। पञ्जाबली पेश की जा रही है। पञ्जाबली को अवैध माना गया है। लालची टैलर तलबाल नौबि
आज तक भी पेश नहीं किया है। क्र. 09 R-5 में
T.E. प्रा. पञ्जाब रवाइज किया गया। पञ्जाबली फंडल
शुमार होकर हुई नमूने से कम हो। आदेश
रुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँवर लोक